न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून।
राज्य बनाम अज्ञात
प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 1117/2026

मु0अ0सं0– 54/2026
धारा–303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना– बसन्त विहार, देहरादून

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता– श्री दिव्यांश रौहिल्ला

आदेश

दिनांक– 02–04–2026

प्रार्थिनी/वाहन स्वामी अनीता पाल पत्नी श्री गणेश कुमार पाल, द्वारा मु0अ0सं0– 54/2026, धारा– 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में निरूद्ध वाहन सं0 **यू0के0–07–ए0एन0–4679** को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पर थाना–बसन्त विहार से आख्या तलब की गई जो कि अभिलेख पर संलग्न है। थाने की आख्या के अनुसार उपरोक्त वाहन थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा है।

3– प्रार्थिनी का अभिकथन है कि वह उक्त वाहन की स्वामिनी है तथा अपने अभिकथनों के समर्थन में प्रार्थिनी ने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस एवं स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति को पेश किया गया है। प्रार्थिनी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

4– प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5– संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार धारा– 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में उपरोक्त वाहन थाने में सुरक्षित है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में अभी समय लगेगा तथा प्रश्नगत वाहन को थाने पर रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त **माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य ए0आई0आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट 638** में भी यह निर्देश दिए हैं कि उचित बन्धनामा व अण्डरटेकिंग लेने पर थाना परिसर में खड़े वाहन को अवमुक्त किया जाना चाहिए। अतः दौरान वाद प्रश्नगत वाहन को प्रार्थिनी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत उपरोक्त वाहन संख्या **यू0के0–07–ए0एन0–4679** को प्रार्थिनी के पक्ष में अंकन **मु0–20,000/–**(बीस हजार रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी राशि का एक जमानती तथा इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देने पर अन्तरिम रूप से अवमुक्त किया जाता है किः–

(1)– प्रार्थिनी उपरोक्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बिना अन्यथा व्ययन नहीं करेगी।

(2)– उपरोक्त वाहन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

(3)– जब भी न्यायालय प्रश्नगत वाहन को न्यायालय में तलब करेगा स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

तद्नुसार थाना प्रभारी बसन्त विहार को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन को, यदि किसी अन्य मामले में वॉछित न हो, नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की जॉच कर तथा प्रश्नगत वाहन की फोटोग्राफी कर पंचनामा तैयार करें तथा प्रार्थी की पहचान सुनिश्चित कर, अंतरिम रूप से प्रार्थी की सुपुर्दगी में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।